भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 384
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: अर्ध-शुष्क जिलों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना

384. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महेंद्रगढ़ और भिवानी जैसे अर्ध-शुष्क जिलों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो किन योजनाओं के तहत किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) क्या कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं;

(घ) गेहूँ और धान जैसी पारंपरिक फसलों से दलहन, बाजरा और तिलहन की ओर रुख करने के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या हरियाणा राज्य ने ऐसे कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए कोई जिला-विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क से ङ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) मूल हरित क्रांति राज्यों अर्थात् हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि जल की अधिक खपत वाली धान की फसल के क्षेत्र में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती की जा सके। हरियाणा राज्य में, 10 जिलों अर्थात् अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, पानीपत, कुरुक्षेत्र और सोनीपत को फसल विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। सीडीपी के अंतर्गत वैकल्पिक फसलों के प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण एवं मूल्य संवर्धन, क्षेत्र-विशिष्ट कार्यकलापों और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के अंतर्गत दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज (श्री अन्न), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन के अंतर्गत तिलहन और समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत बागवानी फसलों जैसी जल की कम खपत वाली फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रही है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए राज्यों को छूट(फ्लेक्सिबिलिटी) भी प्रदान करती है। राज्य, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन से पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2005 से संपूर्ण देश में किया जा रहा है जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में किसानों में नई तकनीकों के संबंध में जागरूकता लाना है। सीडीपी के अंतर्गत,कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को हरियाणा राज्य सरकार से जिला-विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

*****